

## आदेश

ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण सत्र-2024 के अन्तर्गत दिनांक: 30.04.2024 तक समयवाधि पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्बन्धित पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट उ०प्र० के माध्यम से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक (लेखा) को तात्कालिक प्रभाव से उनके नियुक्ति स्थान (कालम-6) से नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कालम-7) में स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: डीजी-चार-स्था०-समयावधि- निरीक्षक लेखा- (403...)/2024 दिनांक: 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क०स०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4	5	6	7
1	निरीक्षक लेखा	922380192	संजीत कुमार सिंह	सुल्तानपुर	कमि० प्रयागराज	इस मुख्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था० (362)/2023/668 दिनांक 14.06.2023 द्वारा सुरक्षा मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ किया गया स्थानान्तरण पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र दिनांक: 25.11.2020 के आलोक में उक्त स्थानान्तरण आदेश को 01 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा क्रियान्वयन न होने के कारण निरस्त करते हुए पुनः सुरक्षा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
2	निरीक्षक लेखा	862480037	राम गोपाल सिंह	मथुरा	कमि० गौतमबुद्धनगर	इस मुख्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था० (362)/2023/668 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा पीएसी मुख्यालय लखनऊ किया गया स्थानान्तरण पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र दिनांक: 25.11.2020 के आलोक में उक्त स्थानान्तरण आदेश को 01 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा क्रियान्वयन न होने के कारण निरस्त करते हुए पुनः पी०ए०सी० मुख्यालय उ०प्र०

- उपरोक्त कर्मियों में से यदि कोई कर्मी नियुक्ति कमिश्नरेट से स्थानान्तरित जोन/परिक्षेत्र/जनपद/इकाई हेतु कार्यमुक्त हो गया हो अथवा स्थानान्तरित जोन/परिक्षेत्र/जनपद/इकाई में आगमन करा लिया गया हो तो उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
- यदि उपरोक्त कर्मी में से कोई कर्मी पदोन्नति हो गया हो तो उसके पी०एन०ओ० नम्बर के आधार पर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, यदि पी०एन०ओ० नम्बर में भिन्नता हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराये।
- पी०ए०सी०/एस०एस०एफ० वाहिनी/अजनपदीय इकाई आवंटित करते समय मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था०(निर्देश)/2017/900 दिनांक: 22.06.2017 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाये।
- उपरोक्त कर्मियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 09.07.2024 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW



DG-HQ-STHA-403/2024/1122 DT 30-06-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना)

निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक (कर्मिक),  
उत्तर प्रदेश।

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: डीजी-चार-स्था०-(403...)/2024/1122

दिनांक: लखनऊ: जून, 30, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज/गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त कर्मियों को 10 दिवस (दिनांक 09.07.2024 तक) के अन्दर स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कराते हुये प्रस्थान जाने जाने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-SHA-403/2024/1122 DT-30-06-2024